Nav Jyoti, Vol. 5, No. 11, July-December 2017 ISSN : 2249-7331

भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता अपराध

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार सोनकर
असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग,
जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज, महराजगंज

भारतीय संस्कृति में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे वेद और ग्रन्थ नारी शक्ति के योगदान से भरे पड़े हैं। अपाला, लोमशा, लोपामुद्रा तथा घोषा जैसे विदुशियों ने अपने ज्ञान से तत्व ज्ञानी पुरुषों को कायल बना रखा था। नारी को आरम्भ से सृजन, सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। शास्त्र से साहित्य तक नारी की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता''। नारी का कार्य क्षेत्र न केवल घर बल्कि सारा संसार है। प्रकृति ने वंश वृद्धि की जो जिम्मेदारी नारी को दे रखी है वह न केवल एक दायित्व है अपितु एक चमत्कार और अलौकिक सुख भी है। यह विडम्बना है कि भारतीय समाज में जैसे–जैसे स्वतंत्रता और आधुनिकता का विस्तार हुआ वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव बढ़ा है। महिलायें न केवल भारत में ही अपितु विदेशों में भी विविध प्रकार की हिंसाओं का शिकार हो रही हैं। ये अत्याचार वर्तमान परिस्थितियों की परिणति नहीं है अपितू वह सदियों से शोषण, अपमान, यातनाओं का शिकार होती आ रही हैं। स्वाधीनता से पूर्व एवं पश्चात् सैकड़ों महिलायें ऐसी हैं जो कई तरह के हिंसाओं का सामना कर रहीं हैं। यद्यपि महिलाओं में शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, उपर से देखने में वह समाज में एक सम्मानजनक भूमिका निभा रहीं हैं, किन्तु वास्तविकता में वह कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से मानवीय शोषण की शिकार हैं। महिलायें न केवल समाज द्वारा शोषित एवं पीड़ित हैं बल्कि पारिवारिक सदस्यों के द्वारा भी इनका उत्पीड़न किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार ''लैंगिक आधारित हिंसा की कोई भी क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को भौतिक, यौन या मानसिक नुकसान होता है या महिलाओं को भौतिक, यौन या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसमें ऐसी क्रियाओं का भय अवपीड़न या स्वच्छन्दता से मनमाना वंचित शामिल हों और जो कहीं भी यानि या तो सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित होता है, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा है।'' महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में शामिल है– बलात्कार, दहेज उत्पीड़न या हत्या, अपहरण, छेड़–छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, लड़कियों तथा महिलओं का अनैतिक देह व्यापार, कन्या भ्रूण हत्या या शिशु हत्या, उनके मुँह पर तेजाब फेकना इत्यादि है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें से करीब 70 प्रतिशत महिलायें सीटी बजाने, कटाक्ष, कामुक टिप्पणी और यौन संकेतों के कारण यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं और 25 प्रतिशत के लगभग स्पर्श जैसे उत्पीड़न की पीड़ा झेलती है। इसी तरह बलात्कार की रिपार्ट दर्ज कराने के मामले 40 से 50 प्रतिशत के बीच में होते हैं। केवल भारत की राजधानी को ले ले तो हर 17 घण्टें में यहाँ एक महिला का यौन शोषण होता है। एक अध्ययन के अनुसार 80 प्रतिशत बलात्कार के मामले 10 से 30 वर्ष की युवतियों के साथ होता है। चौकाने वाला तथ्य यह है कि 10 वर्ष के कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले भी 4 प्रतिशत पाये गये। यह दिखाता है कि यौन पिपासा हमारे समाज को कितना पतित कर चुकी है। इसी तरह प्रत्येक 33 मिनट में 1 अर्थात एक दिन में 43 और एक वर्ष में 15617 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किये जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस समय देश में 30 लाख से ज्यादा वेश्याएं हैं, जिसमें से करीब 35 प्रतिशत लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम हैं और उनकी संख्या 10 लाख के करीब बतायी जाती है। हर साल 8 से 10 प्रतिशत लड़किया इस पेशे से जुड़ जाती हैं। देश में चिह्नित किये गये रेड लाइट इलाको की संख्या–1100 से अधिक है। विवाह के पवित्र रिश्तों का सच यह है कि इसकी दहेज रूपी आग में हर साल 15 हजार से भी ज्यादा महिलाओं को सताया जाता है, तो 7 हजार से अधिक महिलओं को जला कर मार दिया जाता है।

फिलहाल ये महिलाओं के प्रति ऐसे अपराध हैं जिनके कुछ तो आकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत से अपराध ऐसे हैं जिनके आकड़े जुटा पाना बहुत मुश्किल है, घेरलू हिंसा इसी तरह का अपराध है।

इसके अलावा व्यक्तिगत दुश्मनी हो, सम्पत्ति का विवाद हो, युद्ध हो, दंगा हो या फिर विद्रोह हिंसा का केन्द्र महिलाओं को बनाया जाता है। इसी तरह से विधवाओं को सम्पत्ति, शक्ति और काम वासना के कारण यातना दी जाती है। लड़की जन्म लेते ही मार देने प्रचल के कारण लिंगानुपात में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। उधर जातीय पंचायतों एवं परिवार के इज्जत के नाम पर महिलाओं की आबरू से रोज खेला जा रहा है। कभी छोटी जाति के लड़के से शादी के नाम पर, छोटी जाति की होकर महिला सरपंच बनने पर, मालिक की बात न मानने पर और तो और प्रेम प्रस्ताव स्वीकार न करने तक के नाम पर उन्हें जलाया जा रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, सरे आम बलात्कार किया जा रहा है और कुछ नहीं तो उन पर तेजाब फेकर अपने पुरुषत्व का ढिढोरा पीटा जा रहा है। नैना साहनी, जेसिका लाल और आरूषि के दर्दनाक अंत से कौन नहीं दहल गया। इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति पुरुषोचित दमन खत्म होने का नाम नहीं लेता। केवल पिछले कुछ महिनों की अखबारों की खबर पर नजर डाल लेते हैं– लड़की से रेप के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार, भोपाल में इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप, दवा कम्पनी की मैनेजर से रेप, एम0पी0 में दलित सरपंच के साथ गैंगरेप, सातवीं क्लास की छात्रा से रेप, दिल्ली में नेपाली महिला के साथ गैंगरेप, मुम्बई के गैंगरेप के बाद महिला को जलाया, ब्लू फिल्म नहीं देखी तो गर्लफ्रेण्ड को लगा दी आग और तो और हमारी भावी पीढ़ी कैसी बन रही है इसे देखिये– टिनेजर ने बनाया बच्चियों को हवस का शिकार और 9 साल का बच्चा रेप के आरोप में गिरफ्तार इत्यादि। इन खबरों को पढ़ कर ऐसा महसूस होता है कि हम कैसे समाज में जीवन व्यतीत कर रहें हैं, जहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की अमानवीय घटनायें घटित हो रहीं हैं।

भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर कानून :–

- धारा 376 : बलात्कार।
- धारा 363, 373 : विशेष उद्देश्यों के लिए अपहरण।
- धारा 302, 304 बी : दहेज हत्या या दहेज हत्या का प्रयास या दहेज प्रताड़ना।
- धारा 498 ए : शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा।
- धारा 354 : छेड़छाड़।
- धारा 509 : लैंगिक प्रताड़ना।
- धारा 366 बी : 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को भगाना।

कुछ अन्य कानून :–

- हिन्दू विवाह अधिनियम : 1955
- अनैतिक क्रिया कलाप (निरोध) अधिनियम : 1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम : 1961 (संशोधित अधिनियम : 1995)
- दहेज विरोधी अधिनियम : 1961
- हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट : 1955
- इमोरल ट्राफिक (प्रिवेंशन) एक्ट : 1956
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट : 1971
- कमिशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट : 1987

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृति :–

1. अपराधिक हिंसा जैसे – बलात्कार, अपहरण एवं हत्या।
2. घरेलू हिंसा जैसे – दहेज संबंधी हत्या, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार।
3. सामाजिक हिंसा जैस–पत्नी/पुत्रवधु को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इनकार करना, अल्प वयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना।

Crime head-wise incidents of crime against women during 2010 - 2014 and percentage variation in 2014 over 2013

S.No.	Crime head	Year					Percentage variation in 2014 over
		2010	2011	2012	2013	2014	2013
1	Rape	22,172	24,206	24,923	33,707	36,735	9.0
2	Attempt to commit rape*					4,234	-
3	Kidnapping & abduction of women	29,795	35,565	38,262	51,881	57,311	10.5
4	Dowry deaths	8,391	8,618	8,233	8,083	8,455	4.6
5	Assault on women with intent to outrage her/their modesty	40,613	42,968	45,351	70,739	82,235	16.3
6	Insult to the modesty of women	9,961	8,570	9,173	12,589	9,735	-22.7
7	Cruelty by husband or his relatives	94,041	99,135	1,06,527	1,18,866	1,22,877	3.4
8	Importation of girl from foreign country	36	80	59	31	13	-58.1
9	Abetment of suicide of women					3,734	
A.	Total IPC crime against women	2,05,009	2,19,142	2,32,528	2,95,896	3,25,329	9.9
10	Commission of Sati Prevention Act	0	0	0	0	0	
11	Indecent Representation of Women (P) Act	895	453	141	362	47	-87.0
12	The Dowry Prohibition Act	5,182	6,619	9,038	10,709	10,050	-6.2
13	Protection of women from domestic violence Act*					426	-
14	Immoral Traffic (Prevention) Act#	2,499	2,436	2,563	2,579	2,070#	-
B.	Total SLL crime against women	8,576	9,508	11,742	13,650	12,593	-7.7
	Total(A+B)	2,13,585	2,28,650	2,44,270	3,09,546	3,37,922	9.2

Proportion of crime against women (IPC) towards total IPC crimes

Sl. No.	Year	Total IPC Crimes	Crime Against women (IPC cases)	Percentage to total IPC crimes
1	2010	22,24,831	2,13,585	9.6%
2	2011	23,25,575	2,19,142	9.4%
3	2012	23,87,188	2,44,270	10.2%
4	2013	26,47,722	2,95,896	11.2%
5	2014*	28,51,563	3,25,327	11.4%

अपराधकर्ता कौन :–

- जो अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है।
- जो व्यक्तित्व संबंधी दोषी होते हैं।
- जिनके पास संसाधनों और प्रतिभाओं का अभाव होता है।
- जिनकी प्रकृति मालिकानापन, शक्कीपन और प्रबलता है।
- जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं।
- जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हों।
- जो बहुत अधिक मदिरापान करते हैं।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध की प्रकृति को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

बलात्कार :– राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा जारी किये गये आकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये गये। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार के कुल 34651 मामले दर्ज हुए, यानी देश में हर घण्टे बलात्कार के 4 मामले दर्ज होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश (4391), महाराष्ट्र (4144), राजस्थान (3644) और फिर उत्तर प्रदेश (3025) का स्थान आता है। देश में ऐसे सबसे कम मामले छोटे राज्यों में सिक्किम (5), नागालैण्ड (35), मणिपुर (46) और मिजोरम (58) दर्ज हुए। पिछले साल एनसीआरबी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार के 36735 मामले दर्ज हुए थे इसके अनुसार एक साल में 2084 मामलों की कमी दिखायी गयी है। देश में सामूहिक बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या 2016 थी इनमें सबसे ज्यादा 458 मामले उत्तर प्रदेश में और 411 मामले राजस्थान में दर्ज हुए। भारत में दर्ज हुए बलात्कार के कुल मामलों (34651) में से 952 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ और 2326 अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ होने की बात सामने आयी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के सबसे ज्यादा 359 मामले दर्ज हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में 138, महाराष्ट्र में 99, उड़िसा में 94 और राजस्थान में 80 मामले दर्ज किये गये। वहीं देश में दलित महिलाओं के साथ 2326 मामले दर्ज हुए। इनमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 461, उत्तर प्रदेश 444, राजस्थान 318, महाराष्ट्र 242 और उड़िसा में 130 मामले दर्ज हुए हैं। बलात्कार की घटनाओं में आरोपी और अपराधी अधिकांशतः जाना–पहचाना या परिचित व्यक्ति ही होता है, जबकि शेष मामलों में बलात्कार करने वाला अपराधी पड़ोसी या फिर साथ काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं।

दहेज हत्या :– शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब समाचार पत्रों में दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या का कोई मामला प्रकाश में नहीं आता हो। एनसीआरबी 2015 के आकड़ों के अनुसार दजेह के 9894 मामले दर्ज हुए जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश (2766), बिहार (1867), झारखण्ड (1552), और कर्नाटक (1541) में मामले दर्ज किये गये। जबकि 2014 में दहेज हत्या के 8455 मामले सामने आये थे, ये सिर्फ वहीं मामले हैं जिसमें पीड़ित लोग पुलिस थाने तक जाने की हिम्मत जुटा पाये। वस्तुतः आज दहेज के नाम पर पैसा वसूलना धन्धा बन चुका है। कुछ समय पूर्व तक यह केवल उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमीत था किन्तु अब इसे निम्न वर्गों में भी देखा जाने लगा है। दहेज प्रथा तथा उसके लिए उत्पीड़न को रोकने के लिए कई कानून भारत में पारित हैं। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया, दहेज लेने या देने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्राविधान किया गया है। धारा 406 में

महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि अपने पति या सम्बंधियों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर शिकायत कर सकती हैं, जिसके लिए 3 वर्ष के कारावास का प्राविधान है। धारा 304 बी में यह उल्लिखित हैं कि यदि किसी महिला की मौत उसकी शादी के 7 वर्ष के अन्दर असाधारण परिस्थितियों में या शारीरिक आघात के कारण हुई है तो उसे दहेज हत्या माना जायेगा और इसका उत्तरदायी उसका पति या परिवार के सदस्य होंगे। धारा 133 बी के तहत न्यायालय उस व्यक्ति को दोषी मानलेगा अगर वह यह सिद्ध नहीं कर पाया कि हत्या किसी अन्य कारण से हुई है। ऐसे मामलों में दोषी को जमानत नहीं दी जाती।

अपहरण और भगा ले जाना :– नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार सन् 2014 में 57311 अपहरण तथा अगवा करने की घटनायें दर्ज हुई। जबकि 2015 में इसकी संख्या बढ़ कर 59277 हो गयी। महिलाओं के अपहरण के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 10135 दर्ज हुए इसके बाद बिहार में 5158, महाराष्ट्र में 5096, असम में 5039 और मध्य प्रदेश 4547 मामले दर्ज हुए। सिद्धान्तः 18 वर्ष से कम के लड़के और 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके कानूनी अभिभावक के सहमति के बिना ले जाने को अपहरण की संज्ञा दी जाती है, जबकि भगा ले जाना अथवा अगवा करने का अर्थ है महिला को इस उद्देश्य से बलपूर्वक या धोखे से ले जाना कि उसे फसलाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किये जाय या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाय। अपहरण के मामले में पीड़िता की सहमति महत्व नहीं रखती, जबकि भगा ले जाने अथवा अगवा करने में पीड़िता की स्वैच्छिक सहमति दोषी को माफ कर देती है। अपहरण तथा अगवा करने जैसी घटना को रोकन के लिए ''इमोरल ट्राफिक प्रिवेंशन एक्ट तथा इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट'' बनाया गया है।

घरेलू हिंसा :– घरेलू हिंसा का सबसे बर्बर रूप पति का अपनी पत्नी को पीटना है। जिस पति को पत्नी अपना सर्वस्व और परमेश्वर मानती है वही छोटी–छोटी बातों के लिए अपनी पत्नी पर तानाशाही दिखाता है। वे अगर बेटा की जगह बेटी हुई या फिर परिवार के किसी भी समस्या का दायित्व पत्नी पर डालकर उसको पीटने की घटना आम है। हिंसा, चाटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश करना या फिर हत्या तक हो सकती है। भारत देश में महिलाओं के साथ होने वाले तमाम अपराधों में से एक तिहाई (113403) मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए यानी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गयी हिंसा को बिन्दु के तहत दर्ज किये गये हैं। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा मामले 20163 पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए हैं। दूसरे स्थान पर राजस्थान 14383 आता है। इन सबके बाद शायद ही कोई महिला अपने पति या परिवार के खिलाफ थाने में उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज करा पाती है। एक अध्ययन के अनुसार 25 वर्ष से कम आयु की पत्नियां, पति से उत्पीड़न की शिकार अधिक होती हैं। कम आय वाले परिवार में पत्नी को पीटने की सम्भावना अधिक होती है। पत्नी को पीटने का महत्वपूर्ण कारण है– यौन सम्बंधी असमायोजन, भावनात्मक गड़बड़ी, पति का अहम या हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या और पत्नी की कथित निष्क्रियता एवं परपुरुष से संबंध का शक आदि है।

लैंगिक दुर्व्यवहार :– लैंगिक दुर्व्यवहार में शामिल है– अपशब्दों का प्रयोग, अश्लील हरकतें, छेड़–छाड़, सिटी बजाना, गलत निगाह रखना इत्यादि। इस प्रकार के उत्पीड़न का शिकार अधिकतर कामकाजी महिलायें होती हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार की दृष्टिकोण से सर्वाधिक असुरक्षित जगह दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार बल पूर्वक शारीरिक सम्पर्क बनाना, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आग्रह या मांग, अपशब्द का प्रयोग, अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना, कोई भी शारीरिक, शाब्दिक या अशाब्दिक अश्लील हरकतें लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आयेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में महिलाओं के शील के आघात को संज्ञेय अपराध माना गया तथा इसके लिए दो वर्ष के कारावास तथा आर्थिक दण्ड का प्राविधान किया गया है। इस सबके बावजूद ऐसी हरकतों को या तो दर्ज नहीं किया जाता या कराया नहीं जाता। जहाँ पुलिस इस तरह के मामले को सामान्य कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, वहीं कुछ महिलायें अपने भविष्य तथा परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर छुपा लेती हैं। यही नहीं कुछ मामले दर्ज होने के बावजूद न्यायिक विलम्ब के कारण अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाते और दोषी सजा पाने से मुक्त हो जाता है।

कन्या भ्रूण हत्या तथा शिशु हत्या :– भारत में सन् 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष, महिला अनुपात 1000:933 थी। अर्थात पुरुषों से महिलाओं की संख्या कम है जो यह बताता है कि कन्या भ्रूण हत्या तथा शिशु हत्या का धन्धा कितना अधिक है। भ्रूणावस्था में माता–पिता को अगर पता चल जाता है कि होने वाली संतान लड़की है तो भ्रूण हत्या निश्चित है। जिस मशीन का अविष्कार शरीर की आंतरिक विकृतियों को दूर करने के लिए किया गया था उसका उपयोग शिशु के लिंग निर्धारण में किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने सन् 1988 में कन्या भ्रूण हत्या की रोक–थाम के लिए ''रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ प्रिमेटल डायग्नोस्टिक टेकनिक एक्ट बनाया तथा लागू किया। इसका अनुसरण गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों ने भी किया। केन्द्र सरकार द्वारा भी इस दिशा में पहल किया गया और 1994 में ''प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेकनिक एक्ट'' बनाया गया तथा 1996 से लागू हुआ। इसमें गर्भावस्था के दौरान डायग्नोस्टिक केवल पंजिकृत क्लीनिकों तथा प्रयोगशालाओं में ही किया जायेगा। इस दौरान गर्भ के लिंग को बताना कानूनी अपराध माना जायेगा। इस एक्ट के तहत लिंग निर्धारण को बताने वाले क्लीनिक अथवा प्रयोगशालों के डाक्टरों के जुर्म साबित हो जाने पर तीन साल कैद और 10 हजार रूपये जुर्माने का प्राविधान किया गया है।

विधवाओं के विरूद्ध हिंसा :– भारतीय समाज में विधवाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनायें आम हैं। विधवाओं के विरूद्ध हिंसा में पिटना, यातना देना, भावनात्मक उपेक्षा, गाली गलौच करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, सम्पत्ति में वैध हिस्से से वंचित करना और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार आदि शामिल है। सामान्यतः यह देखा गया है कि युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। विधवाओं के उत्पीड़न के तीन सर्वाधिक कारण हैं– शक्ति, सम्पत्ति और कामवासना इन्हीं तीनों कारणों से विधवाओं का शोषण किया जाता है। साधारणः विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब किताब, बीमे की पालिसी और प्रतिभूतियों के बारे में नहीं के बराबर जानकारी होती है और वे अपने परिवार के बेइमान सदस्यों की धोखेबाजी का शिकार आसानी से हो जाती हैं। विधवाओं के प्रति हिन्सा में अपराधकर्ता पति के परिवार के सदस्य होते हैं। आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध दिखाई देता है।

महिलाओं की परिस्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में किये गये काम के घण्टों में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान महिलायें करती हैं, लेकिन उन्हें दुनिया की आय का महज 10 प्रतिशत प्राप्त होता है और केवल एक प्रतिशत महिलायें सम्पत्ति की मालिक हैं। यही नहीं पूरे विश्व में केवल 15 प्रतिशत महिलायें उच्च प्रबन्धकीय पदों पर हैं और 70 प्रतिशत महिलायें गरीब तथा अनपढ़ लोगों में आती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आबादी का वह आधार हिस्सा जो परिवार, सामाज और संस्कृति का केन्द्र ही नहीं होता बल्कि भावी पीढ़ी का सृजनकर्ता भी होता है, वही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो हम बेहतर समाज, राष्ट्र और विश्व के वादे को कैसे पूरा कर पायेंगे। इसके लिए हमें महिलाओं को हर वह आजादी लौटानी होगी जिस पर हमने पुरुष होने के नाते अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है, तभी ये महिलायें देश के विकास में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- सिविल सर्विसेज, क्रानिकल सितम्बर : 2010
- क्राइम इन इण्डिया : 2014
- नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो : 2014
- अहूजा राम क्राइम अगेस्ट वीमेन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर : 1987
- बघेल डी0एस0 अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली
- अहूजा राम महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, रावत पब्लिकेशन जयपुर : 1988
- एनडी टीवी इण्डिया, बुद्धवार 31 अगस्त, 2016